ACTION HISTORY OF RTI REQUEST No.FSOID/R/P/26/00004

Applicant Name Sh. Gopal Prasad

Text of Application Please find attachment

Reply of Application Please find attachment for information sought.

SN.	Action Taken	Date of Action	Action Taken By	Remarks
1	RTI REQUEST RECEIVED	28/01/2026	Sugandha Srivastava-(CPIO)	
2	REQUEST DISPOSED OF	09/02/2026	Sugandha Srivastava-(CPIO)	

Print

1088 TF 21/1/2026

RTI applications of Shri Gopal Prasad, Delhi with Registration No. MOENF/R/P/25/00615 -regarding

19 JAN 2026 /10

SU Division < sudiv-moefcc@gov.in >

Sat, 17 Jan 2026 3:51:11 PM +0530

To "pccf-gnctd"<pccf-gnctd@delhi.gov.in>,"pccf-forest"<pccf-forest@gujarat.gov.in>,"pccf forest"<pccf.raj.forest@rajasthan.gov.in>,"pccf-hry" <pccf-hry@nic.in>,"Saurabh Upadhyay"<saurabh.upadhyay85@gov.in>,"DG FSI"<dgfsi@fsi.nic.in>,"jdnfdmc""<jdnfdmc@fsi.nic.in>, "Prashant Rajagopal" <digfrt-mef@nic.in>, "NAEB MoEF&CC"<naeb-moefcc@gov.in>, "pandeykamal" <pandey.kamal@nic.in>

Cc "SANJAY KUMAR CHAUHAN"<sanjay.ifs12@mp.gov.in>,"RTI Cell"<us.rti-mef@nic.in>,"sampoornkranti2025"<sampoornkranti2025@gmail.com>

F.No. 7/1/2025-SU

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of letter No. 7/1/2025-SU dated 17th January, 2026, along with its enclosure, pertaining to the RTI application of Shri Gopal Prasad, with a request to kindly take further necessary action for the early disposal of the said RTI application.

With regards

Survey and Utilisation Division
Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
5th Floor, Agni Wing
Indira Paryavaran Bhawan
Jor Bagh, New Delhi-110003.

F. No. 7/1/2025/SU
Government of India
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Survey and Utilization Division
******

Agni Wing, 4th Floor,
Indira Paryavaran Bhawan,
Jor Bagh Road, Aliganj,
New Delhi- 110003
Dated: 17th January, 2026

To,

The Principal Chief Conservator of Forests & HoFF
Department of Forest
Government of Gujarat, Haryana, Rajasthan and NCT of Delhi

Subject: RTI applications of Shri Gopal Prasad, Delhi with Registration No. MOENF/R/P/25/00615 -regarding.

Sir,

Please find enclosed herewith a copy of RTI application no. MOENF/R/P/25/00615 dated 30.12.2026 received through online RTI portal in SU Division seeking information under Right to information Act, 2005.

2. It is informed that the all the points except 3.1 and 3.2 of the RTI application does not pertain to the SU Division, MoEF&CC, New Delhi.The said information relates to the Forest Department of Rajasthan, Gujarat, Haryana and Delhi, FSI, Dehradun, NAEB and EIA Division of the Ministry

3. Accordingly, the points except 3.1 and 3.2 of the RTI application is transferred under section 6(3) of RTI Act, 2005 with a request to provide the available information in respect of above application directly to the applicant under intimation to this Ministry.

Digitally signed by
Sanjay Kumar Chauhan
Date: 17-01-2026
15:27:47

(Sanjay Kumar Chauhan)
Assistant Inspector General of Forests & CPIO
E-mail: sudiv-moefcc@gov.in

Copy to
1.The CPIO, FSI, Dehradun with a request to provide the available information in respect of above application directly to the applicant under intimation to this Ministry.

2. The CPIO, EIA Division, MoEF&CC, New Delhi with a request to provide the available information in respect of above application directly to the applicant under intimation to this Ministry.

3. The CPIO, NAEB Division, MoEF&CC, New Delhi with a request to provide the available information in respect of above application directly to the applicant under intimation to this Ministry.

Copy for information to: -

1. RTI Cell, MoEF&CC, New Delhi.
2. Shri Gopal Prasad, Delhi.

RTI REQUEST DETAILS (आरटीआई अनुरोध विवरण)

Registration Number (पंजीकरण संख्या) :	MOENF/R/P/25/00615	Date of Receipt (प्राप्ति की तारीख) :	30/12/2025
Type of Receipt (रसीद का प्रकार) :	Local Receipt	Language of Request (अनुरोध की भाषा) :	English
Name (नाम) :	Gopal Prasad	Gender (लिंग) :	Male
Address (पता) :	HNo. 12, Gali no. 5, Chandan Vihar, , Near Balaknath Temple, I.P Extension, Delhi , Pin:110092		
State (राज्य) :	Details not provided	Country (देश) :	Details not provided
Phone Number (फोन नंबर) :	Details not provided	Mobile Number (मोबाईल नंबर) :	Details not provided
Email-ID (ईमेल-आईडी) :	Details not provided		
Status (स्थिति)(Rural/Urban) :	Details not provided	Education Status :	Details not provided
Requester Letter Number(निवेदक पत्र संख्या) :	Details not provided	Letter Date :	Details not provided
Is Requester Below Poverty Line ? (क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का है?) :	No	Citizenship Status (नागरिकता)	Indian
Amount Paid (राशि का भुगतान) :	10) (original recipient)	Mode of Payment (भुगतान का प्रकार)	Postal Order
Does it concern the life or Liberty of a Person? (क्या यह किसी व्यक्ति के जीवन अथवा स्वतंत्रता से संबंधित है?) :	No(Normal)	Request Pertains to (अनुरोध निम्नलिखित संबंधित है) :	S K Chauhan (SU)
Information Sought (जानकारी मांगी):	Please find the attached scan file		

Print Save Close

Department of Posts
O/o Sr. Postmaster Indraprastha HPO
New Delhi- 110002

To

The CPIO,
Ministry of Enviroment , Forest & Climate Change
Indira Paryavaran Bhawan , Jor Bagh Road,
New Delhi -110003

No:- IPHO/RTI Act-2005 /496/2025-26 dated at New Delhi-110002 the 24.12.2025

Sub:- Regarding information under RTI Act-2005

The RTI application received in this office on 24.12.2025 is forwarded herewith for further necessary action at your end as the information sought by the applicant is related to your office. The payment of application fee has been made in the post office through IPO No. 66F 435594 dated 24.12.25 for Rs. 10/- which is enclosed.

D.A.
1. Application in original.
2. Rs. 10/- IPO No. 66F 435594

Senior Postmaster
Indraprastha Head Post Office
New Delhi-110002

Copy- Sh. Gopal Prasad, HNo. 12, Gali no. 5, Chandan Vihar, Near Balaknath Temple, I.P Extension , Delhi-110092 for information.

RTI Cell
Application/Appeal No. MOENF/R/P/25/615
App. Dated 29/12 Received on 30/12/2025
Fee Additional Fee Received vide D.D.P.O. No. 66F 435594 10/-
Dated
Name of CPIO AA Sh. Sanjay kumar chauhan AIGF (SU)

DS(RBS) (DDMS)
14230/MBP
29/12/25

प्रवर डाकपाल / Sr. Post Master
प्राप्ति / RECEIVED
24 DEC 2025
Indraprastha H.P.O., N.D.-110002
इन्द्रप्रस्थ मुख्य डाकघर, नई दिल्ली-110002

दिनांक: 24.12.2025

प्रेषक:
गोपाल प्रसाद (आरटीआई सेवक)
मकान नंबर-12, गली नंबर-5
निकट बालकनाथ मंदिर, चंदर विहार,
आई.पी. एक्सटेंशन,दिल्ली-110092
मोबाइल: 09910341785, 07678261884.
वाट्सऐप: 08178949704.
ईमेल: sampoornkranti2025@gmail.com

सेवा में,
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (CPIO)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC)
इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड
नई दिल्ली – 110003

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) एवं 6(3) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 के अंतर्गत
अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में विकास/[illegible] परियोजनाओं को दी गई पर्यावरणीय मंज़ूरियों, न्यायिक अनुपालन एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से संबंधित सूचनाएँ प्रदान किए जाने के संबंध में
आरटीआई आवेदन

महोदय,
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) एवं 6(3) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 के अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि देने का कष्ट करें:-

पृष्ठभूमि (संदर्भ): अरावली पर्वतमाला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जो उत्तर-पश्चिम भारत में मरुस्थलीकरण रोकने, भूजल रिचार्ज, जैव-विविधता संरक्षण एवं जलवायु संतुलन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अतीत में अरावली क्षेत्र में अवैध खनन एवं पर्यावरणीय क्षति पर कई बार सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद हाल के वर्षों में 'विकास परियोजनाओं' के नाम पर अरावली क्षेत्र में पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ दिए जाने को लेकर गंभीर सार्वजनिक चिंता, मीडिया रिपोर्ट्स एवं नागरिक आपत्तियाँ सामने आई हैं।
उक्त संदर्भ में यह जानना जनहित में अत्यंत आवश्यक है कि किन आधारों, किन दस्तावेज़ों और किन शर्तों पर ऐसी स्वीकृतियाँ दी गई तथा क्या न्यायालयीन निर्देशों एवं पर्यावरणीय क़ानूनों का पालन हुआ या नहीं।

मांगी गई सूचनाएँ:

1 अरावली क्षेत्र की आधिकारिक स्थिति

1.1 कृपया अरावली पर्वतमाला की सरकारी/अधिसूचित परिभाषा, सीमांकन (demarcation) एवं अधिसूचनाओं की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएँ।

1.2 हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एवं गुजरात में अरावली क्षेत्र को लेकर मंत्रालय द्वारा जारी सभी दिशानिर्देश/परिपत्र/स्पष्टीकरण की सूची व प्रतियाँ प्रदान करें।

2 पर्यावरणीय मंज़ूरियाँ (Environmental Clearances)

2.1 वर्ष 2015 से अब तक अरावली क्षेत्र में स्वीकृत सभी परियोजनाओं (खनन, रियल एस्टेट, सड़क, औद्योगिक, पर्यटन आदि) की राज्यवार सूची प्रदान करें।

2.2 प्रत्येक परियोजना के लिए निम्न विवरण उपलब्ध कराएँ:
परियोजना का नाम व स्थान
परियोजना प्रवर्तक (कंपनी/एजेंसी)
पर्यावरणीय मंज़ूरी की तिथि
EIA रिपोर्ट का सार
शर्तें (Conditions imposed)

3 न्यायालयीन आदेशों का अनुपालन

3.1 अरावली क्षेत्र से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के सभी प्रमुख आदेशों की सूची मंत्रालय के रिकॉर्ड अनुसार प्रदान करें।

3.2 यह भी बताएं कि उपरोक्त न्यायिक आदेशों के अनुपालन हेतु मंत्रालय द्वारा क्या-क्या कार्रवाई की गई, उसकी फाइल-नोटिंग/कार्यवाही विवरण सहित।

4 पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) प्रक्रिया

4.1 क्या अरावली क्षेत्र की सभी परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक सुनवाई (Public Hearing) अनिवार्य रूप से कराई गई?
यदि हाँ, तो उसकी कार्यवाही रिपोर्ट उपलब्ध कराएँ।

4.2 क्या किसी परियोजना को छूट/Relaxation दी गई? यदि हाँ, तो उसका कानूनी आधार एवं सक्षम प्राधिकारी का विवरण दें।

5 पर्यावरणीय क्षति एवं निगरानी

5.1 मंत्रालय/संबंधित एजेंसियों द्वारा अरावली क्षेत्र में वन क्षेत्र ह्रास, जैव-विविधता क्षति, भूजल स्तर परिवर्तन पर किए गए अध्ययन/रिपोर्ट्स की प्रतिलिपि दें।

5.2 क्या किसी परियोजना के विरुद्ध उल्लंघन, नोटिस, दंड या परियोजना निरस्तीकरण की कार्रवाई हुई है? यदि हाँ, तो विवरण दें।

6 उत्तरदायित्व निर्धारण

6.1 अरावली क्षेत्र में पर्यावरणीय मंज़ूरियाँ देने के लिए कौन-सा प्राधिकारी/समिति अंतिम रूप से उत्तरदायी है?

6.2 क्या किसी अधिकारी/विशेषज्ञ समिति द्वारा असहमति/आपत्ति नोट दर्ज की गई थी? यदि हाँ, तो उसकी प्रतिलिपि प्रदान करें।

7 भविष्य की नीति

7.1 क्या मंत्रालय द्वारा अरावली संरक्षण हेतु कोई विशेष नीति/कार्ययोजना प्रस्तावित या स्वीकृत है? यदि हाँ, तो उसका मसौदा/अंतिम दस्तावेज़ प्रदान किया जाए।

8. आरटीआई अधिनियम की **धारा 4(1)(बी)(xiv)** के तहत प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए 'इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध या उसके पास रखी गई सूचना के संबंध में विवरण' का सक्रिय रूप से खुलासा करना अनिवार्य होने एवं वेबसाइट पर डिजिटल रूप से रखी सूचना इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से मंत्रालय /आयोग के वेबसाईट के जिस वेबलिंक पर उपलब्ध है, की सूचना।

घोषणा: मैं भारतीय नागरिक हूँ और मांगी गई सूचना किसी भी तीसरे पक्ष के व्यक्तिगत हितों का उल्लंघन नहीं करता है।

इस आरटीआई आवेदन के साथ आवेदन शुल्क के रूप में दस रुपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या संख्या: 66F 435594 संलग्न है।कृपया RTI अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के अनुसार 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान करने का कष्ट करें।

कृपया निर्धारित समयावधि में हिंदी में ही (गृहमंत्रालय मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अधिनियम के अनुसार) जानकारी देने का कष्ट करें। जो जानकारी आपके विभाग से संबंधित ना हो उस RTI एक्ट की धारा 6(3) के तहत संबंधित विभाग में स्थानांतरित कर उसकी सूचनार्थ प्रति मुझे भी भेजने का कष्ट करें।

कृपया उपर्युक्त सभी सूचनाएँ PDF/soft-copies में मेरे ई-मेल [sampoornkranti2025@gmail.com] पर भी भेज दें; यदि किसी दस्तावेज की केवल हार्ड-कॉपी उपलब्ध हो तो उसके लिए आवश्यक शुल्क बताने की कृपा करें।

यदि किसी दस्तावेज़ का कोई भाग RTI अधिनियम की अपवाद सूची में आता है तो कृपया अपवाद से मुक्त रहनेवाला हिस्सा अलग कर उपलब्ध कर दें और अपवाद का स्पष्ट कानूनी आधार व उसकी सीमा-सीमा बताएं।भवदीय _

RTI MATTER
SPEED POST

संख्या–13–2/2025–RTI-Pt.1- 423
भारत सरकार
भारतीय वन सर्वेक्षण
पे0ऑ0–आई0पी0ई0, कौलागढ़ मार्ग
देहरादून–248195

दिनांकः 5 फरवरी, 2026

सेवा में,

Shri Gopal Prasad,
HNo. 12, Gali No. 5, Chandan Vihar,
Near Balaknath Temple, I.P. Extension,
Delhi, Pin: 110092

Sub:- Information under RTI Act, 2005.

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि आपके आर.टी.आई. आवेदन संख्या MOENF/R/P/25/00615 दिनांक 30.12.2025 के द्वारा मांगी गई सूचना के संबंध में यह कहना है कि आपके पत्र के द्वारा मांगी गयी सूचना इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

2. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर आप निम्नांकित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं।

सुश्री शिवानी डोगरा (प्रथत अपीलीय अधिकारी)
भारतीय वन सर्वेक्षण,
कौलागढ़ मार्ग, देहरादून–248195
फोन न0.– 01352755037

भवदीया,

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

सुगन्धा श्रीवास्तव

(सुगंधा श्रीवास्तव)
लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपिः– CPIO, EIA Division, MoEF&CC, New Delhi - 110003 के पत्रांक–MOENF/R/P/25/00615 दिनांक 17.01.2026 के संबंध में।

CPIO, NAEB Division, MoEF&CC, New Delhi - 110003 के पत्रांक–MOENF/R/P/25/00615 दिनांक 17.01.2026 के संबंध में।

प्रेषित
5/2/2026

संख्या 22—284 / 2026—एफ.जी.डी. - 360
भारतीय वन सर्वेक्षण
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत सरकार
कौलागढ़ रोड़, पी0ओ0 – आई0पी0ई0
देहरादून— 248195

LiFE Lifestyle for Environment

दिनांकः 2nd फरवरी, 2026

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी
भारतीय वन सर्वेक्षण
कौलागढ़ रोड़, देहरादून।

विषयः— RTI Application under Right to Information Act, 2005.

संदर्भः— 1. पत्रांक : 13—2 / 2025—आर.टी.आई (पार्ट—1)—330 दिनांक 29 जनवरी, 2026
2. मंत्रालय पत्रांक 7 / 1 / 2025 / एस.यू. दिनांक 17 जनवरी, 2026

महोदया,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्रों के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि Sh. Gopal Prasad, Delhi की RTI आवेदन संख्या MOENF/R/P/25/00615 दिनांक 30.12.2025 के क्रम में एफ.जी.डी. अनुभाग से चाही गई जानकारी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

भवदीया,

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

शिवानी

(शिवानी डोगरा) भा.व.से.
संयुक्त निदेशक (एफ.जी.डी.)

03/02/26.

A AP/O-

RTI

Sub : Reply for RTI Application No. MOENF/R/P/00615 dated 30.12.2025 under RTI Act, 2005

Reply: The Honble Supreme Court of India vide its order dated 09.05.2024 in Writ Petition (Civil) No. 4677/1985 in the matter of M.C. Mehta vs Union of India & Others, inter-alia, directed to constitute a Committee to have a uniform definition of the Aravalli Hills and Ranges. The report of the Committee has been submitted to Honble Supreme Court.

The Honble Supreme Court, vide Order dated 29.12.2025 in suo-moto Writ Petition (Civil) No. 10/2025, has inter-alia directed that the recommendations submitted by the Committee, together with the findings and directions stipulated by this Court in its judgment dated 20.11.2025, be kept in abeyance and this stay shall remain in effect until the present proceedings reach a state of logical finality.

The information sought vide your application No. MOENF/R/P/00615 dated 30.12.2025 relates to matters which are presently sub judice hence the information sought cannot be disclosed in terms of provisions of Section 8 of the Right to Information Act, 2005.